1— क्षेत्र निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण की ईकाई :—

एक कृषक/बीज उत्पादक द्वारा बोये गये कुल क्षेत्र के निरीक्षण के लिये निम्नानुसार प्रमाणीकरण क्षेत्र को एक ईकाई माना जायेगा अगर :

1.1 उसका क्षेत्रफल 10 हैक्टेयर से अधिक न हो। 10 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल होने पर सुविधानुसार 2 या अधिक भाग किये जा सकते है पर इसका निरीक्षण शुल्क पर कोई असर नहीं होगा।

1.2 पूरे क्षेत्र में बोई गई फसल एक ही किस्म की हो।

1.3 पूरे क्षेत्र की फसल की अवस्था (आयु) तथा बाढ़ समान हो।

1.4 पूरे क्षेत्र में एक ही श्रेणी तथा एक ही वंशानुगत पीढ़ी का बीज बोया गया हो।

1.5 पूरे क्षेत्र में विभिन्न खेत एक दूसरे से 50 मीटर से अधिक दूर न हो।

1.6 बीज उत्पादक संस्था जहां तक हो सके अच्छी फसल उत्पादन हेतु उपयुक्त कृषि कार्यमाला की उचित जानकारी समय पर प्रदाय करे/अपनायें जिससे बीज की गुणवत्ता बनाई रखी जा सके।

1.7 भारतीय न्यूनतम बीज प्रमाणीकरण मानको के परिशिष्ट—प्प में निर्धारित शर्तो के अनुसार बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अर्न्तवर्तीय फसले ली जा सकेगी।

2— बीज के स्त्रोत का सत्यापन :—

आवेदन पत्र के साथ

बीज स्त्रोत सत्यापन प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व की मूलभूत तथा अनिवार्य प्रक्रिया है, अतः यह जानने के लिये कि प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत बीज उत्पादन कार्यक्रम, मान्य स्त्रोत से ही प्राप्त बीज बोया गया है, संस्था को बीज उत्पादन पंजीयन आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे —

2.1 बीज प्राप्ती का सम्पूर्ण विवरण। प्रदाय संस्था का चालान/बिल आदि।

संकर फसलों के बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु आवश्यक पैतृकों बीजों का लाट मूवमेंट।

2.2 अन्य राज्यो से प्राप्त बीज का पैकिग प्रमाण पत्र/रिलीज आर्डर।

2.3 श्रेणी निर्धारण हेतु संतती प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाणीकरण संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज में यदि श्रेणी को स्पष्ट न किया गया हो, तो अंतिम प्रमाणीकरण प्रमाण–पत्र से पुष्टि की जावे। अथवा आवश्यकतानुसार संबंधित संस्था के सक्षम अधिकारी द्वारा अभिलेखों के आधार पर दिये गये प्रमाण को भी मान्य किया जा सकेगा।

2.4 प्रजनक बीज का प्रमाणपत्र, बिल, बीज आवंटन एवं अन्य सहयोगी प्रमाण।

2.5 बीज लाट्स का प्रमाणीकरण संस्था द्वारा भौतिक सत्यापन प्रपत्र।

2.6 प्रत्येक उत्पादक को जारी किया गया चालान/बिल जिस पर प्रदाय बीज का लाट क्रमांक स्पष्ट अंकित हों तथा कृषक/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों।

2.7 आधार एवं प्रमाणित बीज की श्रेणी निर्धारण हेतु प्रत्येक लाट का एक टैग प्रत्येक पंजीयन आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में समस्त टेगो/लेबल के नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

कृषक प्रक्षेत्रों पर निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध होना चाहिये :

2.8 आवेदन फार्म में दर्शाये गये लाट्स के समस्त बैग्स/टैग्स और लेबल।

2.9 उत्पादक संस्था द्वारा जारी किया गया चालान/बिल जिस पर लाट क्रमांक व अन्य विवरण स्पष्ट अंकित हो।

बीज स्रोत सत्यापन का मूल उद्देश्य कृषक द्वारा उपयोग किये गये बीज का स्रोत निर्धारण है। उपरोक्तानुसार में से उपलब्ध प्रमाण से

संतुष्ट होने पर उसका विवरण प्रतिवेदन में अंकित कर बीज स्त्रोत का सत्यापन किया जायेगा।